**भारत सरकार**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 97**

**सोमवार, 24 नवम्‍बर, 2014, 3 अग्रहायण 1936 (शक)**

**केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करना तथा उपमार्ग (बाइपास) का निर्माण**

97. **श्री के. एन. बालगोपाल**:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने तथा उनके उपमार्गों का निर्माण करने के लिए राज्य भर में अंतिम निर्णय ले लिया गया है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या कोल्लम तथा अलापुझा उपमार्गों के निर्माण का अंतिम निर्णय ले लिया गया है एवं यदि

हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री पोन्. राधाकृष्‍णन)**

**(क)** केरल में राष्‍ट्रीय राजमार्ग बाईपासों के निर्माण सहित राष्‍ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-II के अंतर्गत राष्‍ट्रीय राजमार्ग- 47 का 4 लेन में चौड़ीकरण और राष्‍ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत राष्‍ट्रीय राजमार्ग-17 का 4 लेन में चौड़ीकरण करने का कार्य लगभग एक दशक पूर्व भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया था । अब तक त्रिशूर से इडापल्‍ली/अरूर तक 74 किमी लम्‍बाई का कार्य पूरा किया जा चुका है और वह प्रचालन में है । तथापि, केवल 2 परियोजनाएं अर्थात वलायर में तमिलनाडु सीमा से वडक्‍कनचेरी तक 58 किमी तक लम्‍बाई को 4 लेन बनाने और वडक्‍कनचेरी से त्रिशूर तक राष्‍ट्रीय राजमार्ग 47 की 30 किमी लम्‍बाई को 6 लेन बनाने का कार्य प्रगति पर है । राष्‍ट्रीय राजमार्ग 17 की 641 किमी लम्‍बाई (421 किमी लम्‍बाई की कर्नाटक सीमा से इडापल्‍ली तक 4 परियोजनाएं) और राष्‍ट्रीय राजमार्ग 47 (चेरथल्‍लाई से तमिलनाडु सीमा तक 220 किमी लम्‍बाई) की शेष 7 राष्‍ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण की धीमी गति और यातायात सुरक्षा के लिए आवश्‍यक न्‍यूनतम 45 मी. मार्गाधिकार के संबंध में जनता के प्रतिरोध के कारण बन्‍द कर दी गई थी ।

माननीय मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग) के 07.07.2014 के पत्र के माध्‍यम से इस मंत्रालय द्वारा की गई पहल पर माननीय मुख्‍यमंत्री, केरल के 30.10.2014 के पत्र के उत्‍तर में राज्‍य सरकार केरल में राष्‍ट्रीय राजमार्ग का 4 लेन में उन्‍नयन किए जाने के लिए यातायात सुरक्षा के लिए अनिवार्य 45 मी. मार्गाधिकार के लिए सहमत हो गई है । तथापि, भूमि अधिग्रहण के मुद्दे के अनुवीक्षण और समाधान के लिए केरल राज्‍य सरकार ने मुख्‍य सचिव, केरल की अध्‍यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है ।

**(ख)** अलापुझा और कोल्‍लम बाईपासों के कार्य को सौंपने के लिए निविदाएं प्राप्‍त हो गई है और उनका मूल्‍यांकन किया जा रहा है । **\*\*\*\*\*\*\***